संख्या-861/2026/2309/22-2-2025-17(1145)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 02 जुलाई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र गोड़ पुत्र श्री राम प्रवेश गोड़ उर्फ बड़क गोड़, निवासी जनपद-बलिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-43383/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-11.11.2025, दिनांक 24.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र गोड़ पुत्र श्री राम प्रवेश गोड़ उर्फ बड़क गोड़, जो ग्राम-रामपुरचीट, थाना-चितबड़ागॉव, जनपद-बलिया का निवासी है। भूमि विवाद को लेकर दिनांक 26.03.2022 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अमरजीत गोंड की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-370/2022 में धारा-307/34, 302/34, 452/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, बलिया के दण्डादेश दिनांक 03.02.2024 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 05 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 03 वर्ष, 07 माह, 16 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक, बलिया द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध पूरे समाज को प्रभावित करता है, बन्दी अपने चचेरे भाई की जमीन कब्जेदारी को लेकर हत्या किये जाने के कारण पुनः अपराध करने का अवसर होने, पुनः उसी जमीन को लेकर अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, बन्दी की सामाजिक, आर्थिक दशा ठीक है, किन्तु रिहाई होने से सामाजिक प्रभाव पड़ने के कारण रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा पुलिस अधीक्षक, बलिया की आख्या से सहमत होते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र गोड़ पुत्र राम प्रवेश गौड़ उर्फ बड़क गोड की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 03.09.2025 तक बन्दी की 34 वर्ष, 02 माह की आयु एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 03.09.2025 तक अपरिहार 03 वर्ष, 05 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 03 वर्ष, 07 माह, 16 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सुलतानपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र गोड़ (बन्दी संख्या-587/2024) पुत्र श्री राम प्रवेश गोड़ उर्फ बड़क गोड़, निवासी जनपद-बलिया की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-861/2026/2309(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
2- पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।